न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 39/2016

अपीलांट

1. ओखा पुत्र चौपा उम्र 65 वर्ष,
2. हंसा पुत्र चौपा उम्र 60 वर्ष जाति मेघवंशी, निवासी बामनवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्रीमती धनवन्तरी पत्नी थानाराम जाति नट निवाासी रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा जिला जालोर।
2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
3. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रानीवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री निखिल दवे विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री जगदीश गोदारा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बामनवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 674 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 रकबा 3.07 हैक्टेयर कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्मन जारी करना दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को जारी समन में कांट–छांट है। उक्त समन 19.07.2012 को जारी करना दर्शाते हुए दिनांक 27.11.2012 को जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त पेशी दिनांक 09.01.2012 को भी कांट–छांट कर 09.01.2013 को अंकित की गई है। तामिल रिपोर्ट में दिनांक 21.02.2012 का तामिल कराने का उल्लेख है। जबकि ओखा के समन पर 21.02.2012 एवं हंसा के समन पर 24.02.2012 की तारीख अंकित की गई है। इसके पश्चात दिनांक 03.04.2013 को पुनः समन पेश करने का आदेश पारित किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को विधिवत रूप से समन तामिल नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.09.2014 को भिजवाया गया, किन्तु अपीलांट को मौके पर उपस्थित होने बाबत कोई सूचना नहीं दी गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.09.2014 को मौके की रिपोर्ट तैयार की गई उसमे खसरा नंबर 703 का उतरी पूर्वी भूमि जो खसरा नंबर 674 व 703 के बीच चल रहे रास्ते से लगती हुई रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिलाई गई एवं खसरा नंबर 674 की संपूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का दी गई तथा खसरा नंबर 703 का उतरी–पश्चिमी हिस्सा अपीलांटगण को दिया गया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के नियमो के अनुसार खसरा नंबर 703 से लगती सडक यानि सडक से लगती 2/3 भूमि अपीलांटगण को दिलाई जानी थी। इसी प्रकार खसरा नंबर 674 में से भी 2/3 हिस्से की भूमि अपीलांटगण को एवं 1/3 हिस्से की भूमि दोनो खसरा की उतरी पश्चिमी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिलाने पर उसकी कृषि भूमि से उसकी भूमि जुड जाती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमो की अनदेखी करते हुए अपीलांटगण को खसरा नंबर 703 की उतरी पूर्वी भूमि दिलाई। तहसीलदार व पटवारी ने मौके की सही स्थिति नहीं दशोई, मौके पर खसरा नंबर 703 के उतरी हिस्से पर अपीलांटगण काबिज है, एवं आज से लगभग 31 वर्ष पहले टयूबवेल खुदवाया एवं लाईट कनेक्शन लिया हुआ है। जिसके संबध में तत्कालीन सहखातेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वक्त खरीद से कब्जा खसरा नंबर 703 के दक्षिणी हिस्से का प्राप्त किया। जो पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो की पालना किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बामनवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 674 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 रकबा 3.07 हैक्टेयर कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
रानी

की गई। जैर अपील वादस्थ भूमि का मौके पर विभाजन हो चुका हैं तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 29.05.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उसके पश्चात दिनांक 24.07.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। एवं उक्त डिक्री की पालना में तहसीलदार रानीवाडा से वादग्रस्त आराजी के संबध में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने क्रमांक/राजस्व/643 दिनांक 16.09.2014 द्वारा उपखंड अधिकारी रानीवाडा के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जैर अपील वादस्थ भूमि का मौके पर विभाजन हो चुका है तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया, किन्तु उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की। इनकी लापरवाही का खामियाजा रेस्पोंडेन्ट क्यों भुगतेंगे। अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई है, जबकि उक्त पालना रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। इससे यह साबित होता है कि तहसीलदार द्वारा पालना रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। अपीलाण्ट की अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे जैर अपील आदेश को बदला जावे। सभी पक्षकारों को राजस्व रेकर्ड में पृथक पृथक खातेदार दर्ज किया जा चुका है। अब अपील स्वीकार किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बामनवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 674 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 रकबा 3.07 हैक्टेयर कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को जो सम्मन जारी किये गये उक्त सम्मन 19.07.2012 को जारी करना दर्शाते हुए दिनांक 27.11.2012 को जारी किये गये है, जिस पर ओखा के समन पर 21.02.2012 एवं हंसा के समन पर 24.02.2012 की तारीख अंकित की गई है। इसके पश्चात दिनांक 03.04.2013 को पुनः समन पेश करने का आदेश पारित किया गया। एवं आगामी पेशी दिनांक 29.05.2013 को अपीलांटगण की तामिली पूर्ण मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को जो सम्मन जारी किये गये, उक्त सम्मन विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये। जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हो सका। उसके पश्चात दिनांक 24.07.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित किया गया। एवं उक्त डिक्री की पालना में तहसीलदार रानीवाडा से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। उक्त आदेष की पालना मे तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जरिये क्रमांक/राजस्व/643 दिनांक 16.09.2014 के प्रकरण में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया तथा न ही नक्शा तैयार किया गया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया, जिस पर मात्र तहसीलदार के हस्ताक्षर है। जबकि विधि अनुसार पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया जाना था तथा पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली